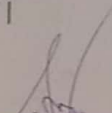


चेक लिस्ट क्रमांक- 26

वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन(प्रपत्र I से IV तक)

मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा ईस्ट रेल कारीडोर परियोजना फेस - II में प्रस्तावित उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि.मी. ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल में प्रस्तावित क्षेत्र के वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।


वनमंडलाधिकारी,
कोरबा वनमंडल, कोरबा

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for
Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details

A-
1. Project Details

(i). Proposal No. : FP/CG/RAIL/32194/2018

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : EAST RAIL CORRIDOR, CHHATTISGARH RAIL PROJECT.

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required :
Construction of New BG electrified line from Uрга to Dharamjaygarh from Km 0 to Km 62 in korba and Raigarh district in Chhattisgarh.

(iv). State : Chhattisgarh

(v). Category of the Project : Railway

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 168600

(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 157.035

(ix). Non-Forest Land required for this project(in ha.): 329.617

(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 50

A-
2. Details of User Agency

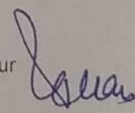
(i). Name : CHHATTISGARH EAST RAILWAY LTD.

(ii). Address1 : 2nd Floor, CSIDC Commercial Complex, Mahadev Ghat Road, Raipur Chowk, Raipur

(iii). Address2 : NIL

(iv). State : Chhattisgarh

(v). District : Raipur


Chief Operating Officer
Chhattisgarh East Railway Ltd.,
CSIDC Commercial Complex,
2nd Floor, Raipura,
Raipur (C.G.)

(vi). Pin : 492013

(vii). Landmark : CSIDC Commercial Complex, Raipura Chowk, Raipur

(viii). Email address : rajesh_lrcon@rediffmail.com

(ix). Landline Telephone No. : 771-2970338

(x). Fax No. : 771-2242154

(xi). Mobile No. : 9425186355

(xii). Website (if any) : cerlcwrl.cg.gov.in

(xiii). Legal status of User Agency : Central PSU

A-
3. Details of Person Making Application

(i). First Name: Rajesh

(ii). Middle Name: NIL

(iii). Last Name: Khare

(iv). Gender: Male

(v). Designation: ChiefOperatingOfficer

(vi). Address 1: 2nd Floor, CSIDC Commercial Complex, Mahadev Ghat Road, Raipura Chowk, Raipur

(vii). Address 2: NIL

(viii). State: Chhattisgarh

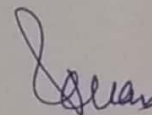
(ix). District: Raipur

(x). Tehsil: Raipur

(xi). Pin: 492013

(xii). Landmark: CSIDC Commercial Complex

(xiii). Email Address: rajeshk.lrcon@gmail.com



Chief Operating Officer
Chhattisgarh East Railway Ltd.,
CSIDC Commercial Complex,
2nd Floor, Raipura,
Raipur (C.G.)

(xiv). Landline Telephone No.: 771-2970338

(xv). Fax No.: 07710042154

(xvi). Mobile No.: 9425186355

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: 

B. Details of land required for the Project

B- Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion
1. of forest land for the Project already submitted in the past

Proposal Submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
1	Approved	2013/093	F.NO.8-105/2014-Fc	76.009	76.099	26 Feb 2015	22 May 2015
2	Approved	FP/CG/Rail/12523/2015	FCII/CH-47/2016-NGP/1972	26.52	26.52	27 Jun 2017	07 Sep 2017

B-
2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

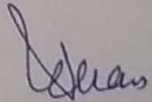
Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Korba	59.368	242.858
2.	Dharamjaigarh	97.667	86.759

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Korba	59.368	242.858
1.	Raigarh	97.667	86.759

B-2.3 Village wise breakup

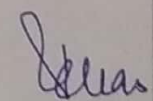
Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)


Chief Operating Officer
Chhattisgarh East Railway Ltd.,
CSIDC Commercial Complex,
2nd Floor, Raipura,
Raipur (C.G.)

7/12/2021

Report Part 1

1	PF 1149(Tenganmar)	1.562	0
2	PF 1150(Tenganmar)	1.793	0
3	PF 1151(Botali)	3.886	0
4	OA1302 (Gidhauri)	8.515	0
5	OA1458 (Bodjhap)	1.701	0
6	OA1466 (Jogipali)	4.341	0
7	OA1484 (Kerwadwari)	1.685	0
8	Urga	0.048	14.352
9	Masan	0	14.265
10	Akhrapali	0	5.974
11	Semipali	0	2.175
12	Devermal	0	2.518
13	Tilkeja	0	21.491
14	Patadi	0	11.182
15	Bagbuda	0	0.931
16	Dongdarha	0.17	2.869
17	Junwani	0	0.654
18	Gidhauri	8.084	7.551
19	Dadarkala	1.131	3.545
20	Fateganj	0.395	0
21	Dongama	5.341	24.094
22	Kerwadwari	1.496	4.67
23	Bodajhap	2.428	2.696
24	Sendripali	3.01	13.703
25	Bandhapali	1.15	17.768
26	Ghinara	0	3.154
27	Pidiya	2.921	22.696
28	Botali	1.73	0
29	Tenganmar	1.512	16.303
30	Jogipali	2.109	9.235
31	Nondarha	4.36	4.857
32	Charmar	0	16.656
33	Madvani	0	19.519
34	RF 562 (Hati)	3.596	0
35	RF 1179 (Jogda)	1.5	0
36	PF 476 (Khadgaon)	4.056	0
37	PF 552 (Hati)	1.677	0
38	PF 591 (sithara)	7.044	0
39	PF 592 (Khadgaon)	10.534	0
40	Dhaskamuda	0	4.825
41	Maharajganj	0.018	3.022
42	Jogada	17.317	22.696
43	Hati	1.985	15.885
44	Sithara	9.71	12.726
45	Khadgaon	4.666	23.028
46	Koylar	17.15	3.054



Chief Operating Officer,
Jharkhand East Railway Ltd.,
CSIDC Commercial Complex,
2nd Floor, Raipura,
Raipur (C.G.)

47	Bayasi colony	0.648	1.929
48	PF 554 (Hati)	10.793	0
49	PF 551 (Hati)	6.973	0

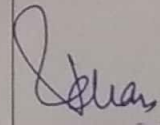
B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Korba	59.368	242.858
2	Dharmjaigarh	97.667	86.759

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Dharmjaigarh									
(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 97.667 (ii). : Linear (b). No. of Segments : One <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Segment wise details</th></tr> <tr> <th>Segments</th><th>Segment Area(in ha.)</th><th>Kml File of Segments</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>97.667</td><td> View File</td></tr> </table> (iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted:  (iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 	Segment wise details			Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments	1.	97.667	 View File
Segment wise details									
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments							
1.	97.667	 View File							

Division 2. : Korba									
(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 59.368 (ii). : Linear (b). No. of Segments : One <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Segment wise details</th></tr> <tr> <th>Segments</th><th>Segment Area(in ha.)</th><th>Kml File of Segments</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>59.368</td><td> View File</td></tr> </table> (iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: 	Segment wise details			Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments	1.	59.368	 View File
Segment wise details									
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments							
1.	59.368	 View File							


 Chief Operating Officer
 Chhattisgarh East Railway Ltd.,
 CSIDC Commercial Complex,
 2nd Floor, Raipura,
 Raipur (C.G.)

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: 

(ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided:
Yes

(a). Copy of map indicating location of alternative examined: 

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment?: No

F. Displacement of People due to the Project, if any.

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986?: No

I. Status of Wildlife Clearance

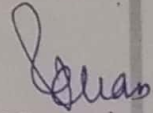
(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone?: No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area?: No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed?: No


Chief Operating Officer
Chhattisgarh East Railway Ltd.,
CSIDC Commercial Complex,
2nd Floor, Raipura,
Raipur (C.G.)

Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Not Applicable

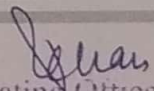
(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted?: Not Applicable

(iii). Reason for not providing Non-Forest Land: Not Applicable

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		Forest Area Classification
2		DD of amount rs. 6000 and 58000 in favor of DFO Dharmjaygarh against registration and processing fees
3		Dharmjaygarh DGPS Report
4		Korba DGPS Report
5		FRA Certificate for District Korba
6		NOC Certificate for District Korba
7		FRA Certificate from District Raigarh
8		NOC Certificate from District Raigarh

Print page


 Chief Operating Officer
 Chhattisgarh East Railway Ltd.,
 CSIDC Commercial Complex,
 2nd Floor, Raipura,
 Raipur (C.G.)

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	ईस्ट रेल कारीडोर परियोजना फेस - II उरगा से धरमजयगढ़ तक ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण के लिए प्रस्तावित		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	उरगा से धरमजयगढ़ तक ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		कोरबा	कोरबा	टेंगनमार, बोटली, जोगीपाली, केवराद्वारी, गिधौरी एवं अन्य ग्राम
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण	वनखंड/ग्राम	कक्ष क्र. / खसरा क्र.	आवेदित क्षे. का क्षेत्रफल हे. में
क.	आरक्षित वन	---	---	---
ख.	संरक्षित वन	टेंगनमार	पी.एफ.1149	1.562
		टेंगनमार	पी.एफ.1150	1.793
		बोटली	पी.एफ.1151	3.886
ग.	नारंगी वनभूमि	बोड़झाप	ओ.ए 1458	1.701
		जोगीपाली	ओ.ए 1466	4.341
		केवराद्वारी	ओ.ए 1484	1.685
		गिधौरी	ओ.ए 1302	8.515
घ.	राजस्व वनभूमि	उरगा	1214/1	0.048
		दोंगदरहा	668	0.170
		गिधौरी	112/1	0.313
		गिधौरी	1194	2.968
		गिधौरी	1200	3.658
		गिधौरी	1140	1.145
		दादरकला	953	0.302
		दादरकला	960	0.829
		फत्तेगंज	1/1	0.395
		डोंगाआमा	226	1.008

	डोंगाआमा	11/1	1.582
	डोंगाआमा	221/1	0.112
	डोंगाआमा	1/1	0.769
	डोंगाआमा	206/1	0.203
	डोंगाआमा	241/1	0.145
	डोंगाआमा	58/1,56/4, 57/2,59/2	1.522
	केवराद्वारी	18/1	0.242
	केवराद्वारी	313	0.610
	केवराद्वारी	125/1 क	0.644
	बोड़ाझाप	69/1	2.428
	सेंद्रिपाली	751	2.518
	सेंद्रिपाली	223	0.492
	बांधापाली	354	1.150
	पीडिया	1126/10	0.176
	पीडिया	807/1	2.745
	बोतली	5/1	1.730
	टेंगनमार	26/1	1.512
	जोगीपाली	210/1	1.809
	जोगीपाली	547/1	0.011
	जोगीपाली	553/1	0.289
	नौनदरहा	49/1	2.075
	नौनदरहा	69/1	2.285
	कुल योग :-		59.368
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	वनों का प्रकार	साल एवं मिश्रित वन
		साइट क्वालिटी	IVA,IVB एवं खुला वन
		घनत्व	0.2 से 0.6
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	सागौन, साल, बीजा, खम्हार, महुआ, साजा, चार, परसा एवं अन्य मिश्रित प्रजातियां। आवेदित क्षेत्र में कुल वृक्षों की संख्या 5230 नग वृक्ष एवं 1 नग बांस भिरा ।	
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	न्युनतम है।	

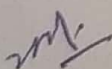
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	नहीं है।
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं है।
11.	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	नहीं है।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

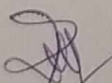
प्रमाण — प्रत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल : क.स.स.

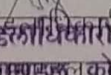
दिनांक : 30.12.2021.....


वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र, कोरबा


वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र, कोरबा


उपवनमंडल अधिकारी
उपवनमंडल, कोरबा
उपवनमंडल अधिकारी
कोरबा (सा.)


उपवनमंडल अधिकारी
उपवनमंडल, कोरबा


वनमंडल अधिकारी
कोरबा वनमंडल, कोरबा

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

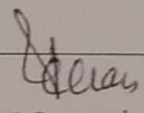
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1	परियोजना विवरण :-	
	(i) अपेक्षित वनभूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा ईस्ट रेल कारीडोर परियोजना फेस - II में प्रस्तावित उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि.मी. ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु रायगढ़ एवं कोरबा जिले के धरमजयगढ़ एवं कोरबा वनमंडल में प्रस्तावित है। इस परियोजना के अंतर्गत धरमजयगढ़ एवं कोरबा वनमंडल में 157.035 हे. (धरमजयगढ़ 97.667 हे. एवं कोरबा 59.368 हे.) वनभूमि प्रभावित हो रही है। इसी तारतम्य में रेल लाईन मार्ग में पड़ने वाली वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किया जा रहा है।
	(ii) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है। पृष्ठ क्र.
	(iii) परियोजना की लागत।	प्रस्तावित उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि.मी. ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना के निर्माण में अनुमानित लागत 1686.00 करोड़ रुपये।
	(iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	प्रस्तावित उरगा से धरमजयगढ़ रेल परियोजना कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल से हो कर गुजर रही है जो कि मिश्रित वन एवं पहाडीयो से आच्छादित है। इस परियोजना के लिए तीन मार्गों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें प्रस्तावित मार्ग में न्यूनतम वन भूमि प्रभावित हो रही है जिसकी मांग की गई है।
	(v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	संलग्न है। पृष्ठ क्र.
	(vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	इस परियोजना के दौरान स्थायी 54 एवं अस्थायी 191625 मानक दिवस रोजगार उत्पन्न होने की सम्भावना है। इसके अलावा परियोजना के पूर्ण होने पर कोरबा जिले में भविष्य में इस क्षेत्र में अद्यौगिक विकास को भी गति मिलेगा और इस क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे जो कि स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में योगदान देगा।
2	कुल अपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण।	157.035 हेक्टेयर (कोरबा वनमंडल 59.368 हे. एवं धरमजयगढ़ वनमंडल 97.667 हे.) अपेक्षित वनभूमि का उपयोग उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि.मी. ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना के निर्माण कार्य में आवश्यकता है।

3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	
	(i) परिवार की संख्या।	772
	(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।	554
	(iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)	संलग्न है। पृष्ठ क्र.
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रपत्र S.O 1533 दिनांक 14/09/2006 के अनुच्छेद 2 एवं 7 के अनुसूची में रेलवे लाईन परियोजना शामिल नहीं है। अतः रेल परियोजना निर्माण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	मान्य है
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	चेकलिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न हैं।


 Chief Operating Officer
 Chhattisgarh East Railway Ltd.,
 CSIDC Commercial Complex,
 2nd Floor, Raipura,
 राजेश खरे Raipur (C.G.)
 मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी
 सी.ई.आर.एल./सी.ई.डब्ल्यू.आर.एल
 CSIDC कॉम्प्लेक्स, महादेव घाट रोड
 रायपुर छत्तीसगढ़

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/RAIL/32194/2018

1.	परियोजना / स्कीम का स्थान	ईस्ट रेल कारीडोर परियोजना फेस - II उरगा से धरमजयगढ़ तक ब्रॉड गेज रेल लाईन के निर्माण कार्य हेतु
(i)	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कोरबा
(iii)	वन प्रभाग	कोरबा वनमण्डल कोरबा, परिक्षेत्र कोरबा एवं करतला, जिला- कोरबा
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर)	59.368 हे.
(v)	वन कानूनी स्थिति	कोरबा वनमंडल - 59.368 हैं. संरक्षित वनभूमि 7.241 हे. नारंगी वनभूमि 16.242 हे. राजस्व वनभूमि 35.885 हे.
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.2 से 0.6
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	सागौन, साल, बीजा, खम्हार, महुआ, साजा, चार, परसा एवं अन्य मिश्रित प्रजातियां। आवेदित क्षेत्र में कुल वृक्षों की संख्या 5230 नग वृक्ष एवं 1 नग बांस भिरा। वृक्ष गणना प्रतिवेदन प्रजातिवार, गोलाईवार संलग्न है।
(viii)	भूमि कटाव के लिये वनक्षेत्र का महत्व, क्या यह गंभीर रूप से क्षेत्र का हिस्सा है, या नहीं	भूमि कटाव हेतु सवेदनशील क्षेत्र है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	0.00 कि.मी.
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण,	नहीं हैं।

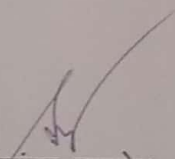
	जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	करतला क्षेत्र पैंगोलिन की क्षेत्र है तथा प्रस्तावित रेल कारिडोर हाथी प्रभावित रहवास एवं विचरण क्षेत्रा से गुजरता है।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं हैं।
2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	प्रयोक्त एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की माँग न्यूनतम एवं आवश्यक हैं।
3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं हैं।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न है।
(i)	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये शिनाख्त किये गये गैर वनक्षेत्र/बिगड़े वनक्षेत्र का ब्यौरा निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या, प्रत्येक हिस्से का आकार।	संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	आवश्यकता नहीं है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित	संलग्न है।

	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	संलग्न है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	संलग्न है।
5.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	संलग्न है।
6.	विभाग/जिला प्रोफाईल	कोरबा वनमंडल, जिला – कोरबा
(i)	कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल का भौगोलिक क्षेत्र	2820.00 वर्ग किलो मीटर
(ii)	जिले के कोरबा वनमंडल का वन क्षेत्र	आरक्षित वन – 0.000 वर्ग किलो मीटर संरक्षित वन – 1285.211 वर्ग किलो मीटर असीमांकित वन – 851.259 वर्ग किलो मीटर कुल वनक्षेत्र – 2136.470 वर्ग किलो मीटर
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	17 प्रकरण रकबा 1089.268 हेक्टेयर
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।	2779.096 हेक्टेयर
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	20.000 हेक्टेयर

(v)	वर्ष 2019 - 2020 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :	
(क)	वन भूमि।	2779.096 हेक्टेयर
(ख)	वनेतर भूमि पर।	20.000 हेक्टेयर
7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	ईस्ट रेल कारीडोर परियोजना फेस - II उरगा से धरमजयगढ़ तक ब्रॉड गेज रेल लाईन हाथी रहवास क्षेत्र के साथ-साथ प्रचुर जैव विविधता वाले क्षेत्र से गुजरता है। अतः क्षेत्र में पाये जाने वाले पैगॉलिन तथा विभिन्न प्रजाति के सरीसृप के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। चूंकि यह प्रस्ताव क्षेत्र में रेल लाईन विस्तार से संबंधित है। राष्ट्रहित के साथ-साथ वन्यजीव हित को भी ध्यान में रखते हुये प्रकरण प्रस्तावित किया जाता है। ओव्हरपास एवं अण्डरपास के कॉर्डिनेट संलग्न है।

स्थान : कोरबा

दिनांक : 30/12/21


 प्रियंका पाण्डेय, भा.व.से.
 वनमण्डलाधिकारी
 कोरबा वनमण्डल, कोरबा
 वनमण्डलाधिकारी,
 कोरबा वनमण्डल, कोरबा